न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 04/2021

नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

आवेदक,

बनाम

हीरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स :– भगवती जोधपुर स्वीट्स पुलिस थाने के सामने, गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/51
खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री अशोक कुमार, अभिभाषक, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2022**

आवेदक नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.02.2021 को मैसर्स भगवती जोधपुर स्वीट्स, पुलिस थाने के सामने, गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता अभियुक्त हीरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर काउण्टर में स्टील की एक ट्रे में लगभग 05 किलो मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई होना पायी गयी। इसमें गुणवत्ता की कमी होने का शक होने पर इसमें से 2 किलोग्राम मावा बर्फी वास्ते नमूना जांच संख्या ई–4952 के लिये क्रय किया गया। क्रय की गई मावा बर्फी की कीमत अंके रूपये 480/– (अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी मात्र) मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता श्री हीरसिंह राजपुरोहित को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये मावे की जांच कराये जाने पर मावा बर्फी सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः नियमानुसार निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिसल कराया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक,(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/2020/1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार उन्हे कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त विक्रेता के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 10.02.2021 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावा बर्फी का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित के पास उपलब्ध मावा बर्फी का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास काउण्टर में स्टील की एक ट्रे में लगभग 5 किलो मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ होना पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी का शक होने पर नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम मावा बर्फी की कीमत अंके रूपये 480/–(अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री हीरसिंह राजपुरोहित को देकर क्रय किया गया और केश मीमो–रसीद खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–4952 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त हीरसिंह राजपुरोहित के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द–रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाया है। खाद्य–विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./248/एक्ट/2021/17 दिनांक् 25.02.2021 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–4952 को सब–स्टैण्डर्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त हीरसिंह राजपुरोहित, (विक्रेता) मैसर्स भगवती जोधपुर स्वीट्स, पुलिस थाने के सामने, गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त द्वारा नई दुकान खोली गई है, जिसमें उनके द्वारा बाहर से दूध लाकर मावा तैयार कर बर्फी तैयार की गई है। उनके द्वारा कोई मिलावट नही की गई है। उनके द्वारा शुद्ध व अच्छी मावा बर्फी बनाई जाती है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनें में मावा बर्फी में फेट की मानक मात्रा 40.0 से 43.0 के स्थान पर मानक से अधिक 43.03 होना पाया गया है। Reichert value of extracted fat मानक से कम 21.32 होना पाया गया है जो कि कोई बडा अन्तर नही है, मामूली सा अन्तर है। तत्समय की जलवायु और मौसम के अनुसार मानकता में थोडा बहुत अन्तर होना स्वाभिवक है। एकदम मानक प्रतिशित प्राप्त होना आमतौर पर संभव नही है। विक्रेता हीरसिंह राजपुरोहित द्वारा कोई मिलावट नही की गई है ना ही उनके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये मावा बर्फी की गुणावत्ता में कोई कमी थी। वर्तमान जलवायु एवं मौसम के आधार पर मामूली सा मानक आधार में कमी रही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला सत्यमेव जयते

अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए /2020/1041 दिनांक 31.12.2020 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 10.02.2021 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 किलोग्राम. मावा बर्फी के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 10.02.2021 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता हीरसिंह राजपुरोहित के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टैण्डर्ड होना अंकित है।

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप बी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 25.02.2021 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा बर्फी विक्रय करके एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 35,000/– (अक्षरे रूपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.01.2022 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर (राज.)

(शंकर लाल सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर